



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270483
CG-DL-E-25022026-270483

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947

No. 138]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 144(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल इंजीनियरी (सिविल) योद्धक (समूह-‘ख’ पद) भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के सीमा सुरक्षा बल में निरीक्षक (संकर्म) और उप निरीक्षक (संकर्म) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, निरीक्षक (संकर्म) और उप निरीक्षक (संकर्म) योद्धक (समूह ‘ख’ पद) भर्ती नियम, 2026 है।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा शैक्षणिक अर्हताएं आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएँ तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. प्रोन्नति के लिए चिकित्सकीय मानक.- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सकीय प्रवर्ग SHAPE-I में है, अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।
5. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सकीय मानक.- केवल वे ही व्यक्ति, जो गृह मंत्रालय की तारीख 20.05.2015 की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में चिकित्सीय परीक्षा संबंधी भर्ती मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार तथा केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित स्कीम के अनुसार चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से फिट हों, इन नियमों के उपबंधों के अधीन उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शारीरिक मानक.- अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) ऊँचाई :
पुरुष – 165 सेंटीमीटर (पहाड़ी जनजातियों और आदिवासियों, जिनमें मिजों और नागा शामिल हैं, के लिए पांच सेंटीमीटर तक शिथिलनीय)
महिला – 157 सेंटीमीटर
 - (ii) छाती :
पुरुष – 76-81 सेंटीमीटर (बीस वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों के लिए दो सेंटीमीटर तक फैलाव में शिथिलनीय)
महिला – लागू नहीं होता।
 - (iii) भार :
पुरुष – चिकित्सकीय मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में।
महिला – ऊँचाई के अनुसार, लेकिन छियालीस किलोग्राम से कम नहीं।
7. **भारत के गैर-नागरिक की अपात्रता .-** कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, तथा कारणों को लेखबद्ध करते हुए, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।
परंतु कि इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात नेपाल या भूटान के नागरिक की इन नियमों के अधीन नियुक्ति या नियोजन प्रदान करने में बाधक नहीं होगी।
8. **सेवा की अन्य शर्तें.-** (1) संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में, जो इन नियमों में विशेष रूप से उपबंधित नहीं की गई हैं, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) तथा सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 के अधीन होगा।
(2) अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों को उस योद्धक पद के लिए विहित वर्दी पहननी होगी, जिसके लिए उनकी नियुक्ति की गई है, तथा उन्हें महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विहित अनुसार मूल प्रशिक्षण करना होगा : परंतु यह कि यह नियम उप निरीक्षक (संकर्म) के पद को लागू नहीं होगा।
9. **सेवा का दायित्व.-** इन नियमों के अधीन कोई भी नियुक्त व्यक्ति भारत में कहीं भी या विदेश में सेवा करने का दायी होगा।

10. **अधिवार्षिता.**-(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, उस मास के अंतिम दिन के अपरान्ह को सेवानिवृत्त होगा, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, या जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विहित किया जाए।

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख को है, तो वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह को सेवा से निवृत्त हो जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को साठ वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक सेवा का विस्तार अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

11. **निरर्हता .-** वह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

12. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

13. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।
(1)	(2)	(3)
1. निरीक्षक (संकर्म) ।	114*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, इंजीनियरी (सिविल) (योधक) ।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु. 44900-142400/-) ।	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(10)
प्रोन्नति से, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनः नियोजन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
<p>प्रोन्नति के द्वारा:- उप निरीक्षक (संकर्म) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) के ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर यथा विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष इनमे से जो भी कम हो, कम न हो, तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद पर नियमित आधार पर धारण किया हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री; और</p>

(ii) सिविल इंजीनियरी में तीन वर्ष का अनुभव।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन:-

सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास विहित अर्हताएं और अनुभव है, और यदि चयनित होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाता है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	: अध्यक्ष;
2. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	: सदस्य;
3. कमांडेंट (संकर्म) सीमा सुरक्षा बल	: सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. उप निरीक्षक (संकर्म)।	254*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, इंजीनियरी (सिविल) (योधक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (रु. 35400-112400/-)।

(5)	(6)
लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अनधिक आयु। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण :- आयु सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
<p>(क) आवश्यक:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता हो; और</p> <p>(ii) अभ्यर्थी को केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।</p> <p>(ख) वाछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या समतुल्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>टिप्पण-1: अर्हता, अन्यथा, सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण करना होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महानिरीक्षक : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. उप महानिरीक्षक : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. कमांडेंट (संकर्म) : सदस्य। सीमा सुरक्षा बल	लागू नहीं होता।

[फा. सं. सी-17/05/2022/कार्मिक-गोपनीय/बीएसएफ]

शिव लहरी मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2026

G.S.R. 144(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and in supersession of the Border Security Force, Engineering (Civil) Combatant (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Works) and Sub-Inspector (Works) in the Border Security Force in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, Inspector (Works) and Sub-Inspector (Works), Combatant (Group 'B' Post Cadre), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Medical standard for promotion.-** Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for promotion to the posts specified in column (1) of the Schedule.
5. **Medical standard for direct recruits.-** Only those persons who are medically fit and physically fit as specified by the Ministry of Home Affairs guidelines dated the 20th May, 2015 on recruitment of medical examination in the Central Armed Police Forces and Assam Rifles, as per the scheme prescribed by the Central Government as amended from time to time shall be eligible for appointment to the posts specified in column (1) of the Schedule under the provisions of these rules.
6. **Physical Standard for direct recruits.-** The minimum physical standard required for the candidates shall be the following, namely:-
 - (1) Height :

Men – 165 centimeters relaxable by five centimeters for hill tribes and adivasis including Mizos and Nagas.

Women – 157 centimeters.
 - (2) Chest :

Men - 76-81 centimeters relaxable by two centimeters expand for candidates below twenty years of age.

Women - Not applicable.
 - (3) Weight :

Men - Proportionate to height and age as per medical standards.

Women - According to height but not less than forty-six kilograms.
7. **Ineligibility of non-citizen of India.-** No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government, reasons to be recorded in writing, be appointed or employed under these rule :

Provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan under these rules.
8. **Other conditions of service.-** (1) The persons appointed to the Cadre shall be subject to the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and the Border Security Force Rules, 1969, in respect of other conditions of service not specially provided for in these rules.
 - (2) The person appointed on deputation from other Department shall have to wear the uniform prescribed for the combatised post against which they are appointed and have to undergo basic training as prescribed by the Director General from time to time on appointment on deputation : Provided that this rule shall not apply to the post of Sub- Inspector (Works).
9. **Liability of service.** - Any person appointed under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.
10. **Superannuation.-** (1) The person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

 - (2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement of sixty years.

11. Disqualifications.- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Power to relax.- where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**13. Saving.-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of post. (1)	Number of posts. (2)	Classification. (3)	Level in pay matrix. (4)
1. Inspector (Works).	114* (2026). * Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Engineering (Civil) (Combatised).	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).

Whether selection post or non-selection post. (5)	Age-limit for direct recruits. (6)	Educational and other qualifications required for direct recruits. (7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. (8)	Period of probation, if any. (9)	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. (10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation/ absorption. For ex-Servicemen Deputation or re-Employment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made. (11)
<p>Promotion:</p> <p>Sub-Inspector (Works) in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade and having successfully completed the pre-promotional course as prescribed by the Director General Border Security Force from time to time.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

Deputation/absorption:

Officers of the Central Government or the State Government or the Union territories Administrations:

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-

(i) 12th class passed from a recognised board with three years diploma or degree in Civil Engineering from a recognised University or institute; and

(ii) three years experience in Civil Engineering.

Deputation or re-employment for ex-servicemen:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationist shall also be considered. If selected, such officers shall also be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment terms.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Inspector General, Border Security Force - Chairperson; 2. Deputy Inspector General, Border Security Force - Member; 3. Commandant (Works), Border Security Force. - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
2. Sub- Inspector (Works).	254* (2026) * Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Engineering (Civil) (Combatised).

(4)	(5)
Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

(6)	(7)
<p>Not exceeding 30 years of age.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>	<p>(a) Essential:</p> <p>(i) 12th class passed from a recognised board with three years diploma in Civil Engineering from a recognised University or institute or equivalent; and</p> <p>(ii) candidates will have to pass the written test and Physical Efficiency Test, as prescribed by the Central Government from time to time.</p> <p>(b) Desirable:</p> <p>Preference will be given to those having graduation degree in Civil Engineering from a recognised University or institute or equivalent.</p> <p>Note 1: Qualification is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

(8)	(9)
Not applicable.	<p>Two years.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.</p>

(10)	(11)
By direct recruitment.	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :- 1. Inspector General, Border Security Force - Chairperson; 2. Deputy Inspector General, Border Security Force - Member; 3. Commandant (Works), Border Security Force. - Member.	Not applicable.

[F. No. C-17/05/2022/Pers-Confdl/BSF]

SHIV LAHRI MEENA, Under Secy.